



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1682]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2011/भाद्र 8, 1933

No. 1682]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2011/BHADRA 8, 1933

### पर्यावरण और वन मंत्रालय संकल्प

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2011

का.आ. 2019(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के संकल्प संख्यांक सा.का.नि. 736(अ), तारीख 26 अगस्त, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संकल्प कहा गया है) प्रदूषण के निवारण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने हेतु उद्योगों और प्रचालकों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए एक स्कीम को संस्थापित करने का निर्णय लिया था;

और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उक्त संकल्प का और संशोधन करने का विनिश्चय किया है;

उक्त संकल्प के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3 वर्ष 2010-2011 से—(i) प्रदूषण के निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ट्रॉफी के अतिरिक्त एक लाख रुपए के नकद पुरस्कार के रूप में होगा और प्रशस्ति पत्र उस पुरस्कार विजेता स्थायी रूप से अपने पास रख सकेंगे;

(ii) स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार ट्रॉफी के अतिरिक्त दो लाख रुपए के नकद पुरस्कार के रूप में होगा और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार विजेता स्थायी रूप से अपने पास रख सकेंगे”।

[फा. सं. ए-14011/1/2009-सीपीए]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मुख्य संकल्प भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3 (i) में संख्यांक सा.का.नि. 736(अ), तारीख 26 अगस्त, 1992 में प्रकाशित किया गया था और पश्चात्पूर्वी संशोधन संकल्प संख्यांक का.आ. 1068(अ); तारीख 30 सितम्बर, 2004 और का.आ. 784(अ), तारीख 31 मार्च, 2008 द्वारा किए गए।

3308 GI/2011

### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS RESOLUTION

New Delhi, the 30th August, 2011

S.O. 2019(E).—Whereas by the Resolution of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number G.S.R. 736(E), dated the 26th August, 1992 (herein after referred to as the said Resolution) the Central Government have decided to institute a scheme of National Awards to encourage industries and operations to take significant steps for Prevention of Pollution;

And, whereas the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, have decided to amend further of the said Resolution;

In the said Resolution, for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely :—

“3. From the year 2010-2011—(i) the National Awards for Prevention of Pollution shall be in the form of a cash award of rupees one lakh in addition to a trophy and a citation which shall be retained permanently by the awardee;

(ii) the Rajiv Gandhi Environment Award for Clean Technology shall be in the form of a cash award of rupees two lakh in addition to a trophy and a citation which shall be retained permanently by the awardee”.

[F. No. A-14011/1/2009-CPA]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Foot Note : The principal Resolution was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i) vide Number G.S.R. 736(E), dated the 26th August, 1992 and subsequently amended vide Resolution numbers S.O. 1068(E), the 30th September, 2004 and S.O. 784(E), the 31st March, 2008.